मुकदमा रजिस्टर संख्या/P.O.
तारीख...........................
न्यायकी विनीत
ने पेश की

11/2/25	वकलाय उपस्थित। वकील वादी का दावा साबित होने से डिक्री किया जाता है। निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर स्वा० मि० किया गया पत्रावली फैसल हुआ। होकर दर्ज नम्बर से कम होकर जिला [illegible] भेज भण्डार में हुआ।

SDO

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः– श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः– 1/387/2015 दायर दिनांकः– 18/06/2002

जीसीएमएस नं0:– 2013/00094 निर्णय दिनांकः– 11/02/2025

वउनवान

1. रणजीतसिंह पुत्र श्री सुलतानसिंह (मृतक) जरिये वारिसान

(1/1) भवानीसिंह पुत्र रणजीतसिंह (मृतक)

(1/1/1) कमलेश पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/1/2) राकेश पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/2) गिर्राजसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/3) ज्वालासिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/4) रामदेई पत्नी रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/5) गिर्राजबाई पुत्री रणजीतसिंह पत्नी रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा हालवासी कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ

(1/6) लक्ष्मी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी भंवरसिंहजाति राजपूत निवासी पावटा हालवासी मूनपुर तहसील राजगढ (अलवर)

(1/7) चन्द्रकला पुत्री रणजीतसिंह पत्नी किशनसिंह निवासी पावटा हालवासी धवाला तहसील व जिला अलवर

वादीगण

बनाम

1. रामचरण पुत्र देवीराम जाति कुम्हार निवासी पावटा तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक – कठूमर
3. प्रबन्धक, अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा बडौदाकान जरिए प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक बैंक शाखा बडौदाकान

प्रतिवादीगण

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

उपस्थितः—श्री सुभाषचन्द शर्मा "अरूवा"— अधिवक्ता वादीगण
श्री राधेश्याम चौधरी — अधिवक्ता प्रतिवादी सं0 1

—:निर्णयः—

वादीगण द्वारा प्रस्तुत दावा इस्तकरारहक व हुक्मइन्तनाई दवामी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 210 मिन रकवा 3 वीघा 4 विस्वा, 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा जिसके साविक खसरा नम्बर 210 मिन रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर में स्थित है। जो आराजी वादी के पिता सुलतान के कब्जे काश्त खातेदारी की आराजी थी जिसे वादी के पिता ने मुबलिग 300 रूपये अंकेन तीन सौ रूपया में प्रतिवादी के पिता देवीराम को रहन रखा था। वादी ने दिनांक 23.03.1959 को 300 रूपये अदा कर खेत छुडा लिया था। जिस 300 रूपये की प्राप्ति की रसीद प्रतिवादी के पिता देवीराम ने दिनांक 23.03.1959 को बद्री प्रसाद महाजन पावटा से लिखाकर अपने अंगूठा निशानी कर दिए थे तथा गवाहा मोहनलाल के हस्ताक्षर वो ख्याली चमार व झबडू कुम्हार के अंगूठा निशानी बतौर गवाह करा दिए थे तथा प्रतिवादी के पिता देवीराम ने दिनांक 23.03.1959 को रहन की रकम प्राप्त कर कब्जा वादी को संभला दिया था तभी से वादी विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी पर कुछ अर्सा प्रतिवादी के पिता ने बहैसियत मुर्तहन अवश्य की थी लेकिन दिनांक 23.03.1959 के बाद प्रतिवादी वो उसके पिता का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार किसी किस्म का नहीं रहा। प्रतिवादी नम्बर 1 का पिता चतुर व चालाक किस्म का व्यक्ति था जिसने राजस्व कर्मचारियान से बेजा साज वाज होकर विवादित आराजी मे अपना नाम बहैसियत खातेदार दर्ज करा लिया जवकि रहन के आधार पर खातेदारी प्राप्त होने का कोई कानून नहीं है। रहन रखी हुई जमीन पर कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं होते लेकिन राजस्व कर्मचारियान ने प्रतिवादी सं0 1 के पिता को खातेदार दर्ज करा दिया जो इन्द्राज वादी के हक हकूकों के मुकाबिले वातिल वो वेअसर है तथा मन्सूख किऐ जाने योग्य है। अमला सैटलमेंण्ट ने विना मौके एंव कब्जे की जांच किए गलत रूप से प्रतिवादी की खातेदारी दर्ज की है जवकि जमाबन्दी संवत् 2019 में देवीराम पुत्र काडा कुम्हार सा0 देह खातेदार मार्फत रणजीतसिंह पुत्र सुलतानसिंह ठाकर सा0 देह शिकमी दर्ज था तथा मौके पर वादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

का कब्जा था। सैटलमेंण्ट विभाग को तो पुराने इन्द्राज ही रिपीट कर वादी के नाम खातेदारी दर्ज करनी चाहिए थी। इस प्रकार वादी विवादित आराजी पर काविज रहकर काश्त करता चला आ रहा है तथा वादी को खातेदारी अधिकार प्राप्त हो चुके है।

प्रतिवादी के पिता देवीराम ने वादी के खिलाफ राजस्व वाद बेदखली वउनवान देवीराम बनाम रणजीतसिंह न्यायालय सहायक कलेक्ट्र राजगढ मुकाम लक्ष्मणगढ के न्यायालय में पेश किया था जो दिनांक 21.7.1976 निर्णीत होकर डिक्री हो गया। जिस निर्णय की अपील वादी ने न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अलवर के न्यायालय में वउनवान रणजीतसिंह बनाम रामचरण अपील संख्या 455/76 पेश की थी जिसका निर्णय दिनांक 17.11.1978 को हुआ जो अपील स्वीकार की जाकरदावा खारिज फरमा दिया। गलत इन्द्राज व विना कब्जा के आधार पर प्रतिवादी सं0 3 बैंक में रहन रखकर ऋण ले लिया। रहन की बाबत इन्तकाल संख्या 579 वाके ग्राम पावटा स्वीकार करा लिया जो इन्तकाल वादी के हक हकूकों के मुकावले वातिल एंव वेअसर होने से निरस्त किये जाने योग्य है। वादी ने प्रतिवादी सं0 1 से गलत इन्द्राज को दुरूस्त कराने को कहा तो प्रतिवादी सं0 1 से इन्कार कर दिया प्रतिवादी ने वादी को खुले आम धमकी दी कि विवादित आराजी मेरी खातेदारी में दर्ज है अव मैं तुझे विवादित आराजी पर शांति पूर्वक काश्त नहीं करने दूँगा जवरन वेदखल कर खुद कब्जा करूँगा या हाल राजस्व रिकार्ड के आधार पर प्रतिवादी सं0 2 से मिलकर दीगर लोगों को रहन वय हिवा आदि द्वारा मुन्तकिल कर कब्जा करा दूँगा जवकि प्रतिवादीगण को ऐसा करने का अधिकार नहीं है यदि प्रतिवादीगण अपने नापाक ईरादों में कामयाव हो गये तो वादी तवाह एंव वर्वाद हो जावेगा। अतः वादी ने विवादित आराजी की अपने नाम खातेदारी की घोषणा कराने एंव प्रतिवादीगण को पाबन्द कराने व दावा वादी मुताविक अनुतोष डिक्री किये जाने का निवेदन किया है।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। प्रतिवादी सं0 1 व 2 ने हाजिर अदालत आये प्रतिवादी संख्या 2 जवाब पेश नहीं करना चहाते उनका जवाब बन्द किया गया। वादी फौत होने पर वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र 0 22रूल 3 जा0दी0 पेश किया जो स्वीकार कर वादी के वारिसान को पत्रावली पर दर्ज किया गया एवं प्रार्थना पत्र 06रूल 17 जा0 दी0 जो स्वीकार कर संशोधित वाद-पत्र पेश किया गया जो जो शामिल मिसल किया

उपखण्ड अधिकारी
खैरथल (अलवर) राज०

गया। प्रतिवादी संख्या 1 हाजिर अदालत होकर अपना जवाव दावा पेश कर कथन किया कि विवादित आराजी का प्रतिवादी सं0 1 स्वंय खातेदार काश्तकार मालिक है। वादी का विवादित आराजी से किसी तरह का सम्बन्ध व सरोकार नहीं है तथा 300 रूपया में रहन रखने बाली बात मनगढन्त है। पूर्व में भी वादी प्रतिवादी सं0 1 का पिता कब्जेदार खातेदार काश्तकार था। वादी के पास रहन का कोई दस्तावेज नहीं है। अगर कोई लिखापढी है तो वो नुमायसी है। राजस्व कर्मचारियान ने प्रतिवादी सं0 1 के नाम सही इन्द्राज कर रखा है। बन्दोबस्त से पूर्व भी प्रतिवादी के पिता खातेदार काश्तकार थे इसलिए राजस्व रिकार्ड का अंकन सही है वादी विवादित आराजी वावत खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक नहीं है। प्रकरण बेदखली चला था लेकिन वादी ने उस वक्त निर्णय अपील का निष्पादन नहीं कराया तथा जव वादी की जानकारी में इन्द्राज बाली बात थी तो उसी वक्त दावा सक्षम न्यायालय में क्यों नहीं किया। वादी ने सक्षम प्राधिकारियों को पक्षकार नहीं बनाया है जो आवश्यक पक्षकार थे। विवादित आराजी पर प्रतिवादी काविज था प्रतिवादी की खातेदारी में दर्ज थी इस वजह से वादी ने राजस्व रिकार्ड व कब्जा के आधार पर व विधिवत तरीके से कानूनी प्रकिया पूर्ण कर उक्त आराजी को प्रतिवादी सं0 3 बैंक में रहन रखकर ऋण लिया है इन्तकाल संख्या 579 रहन का प्रतिवादी सं0 1 के पक्ष में ही दर्ज वो तस्दीक हुआ है। अतः नाकाविज वादी का वाद खारिज किया जावे।

उक्त वाद में निम्न प्रकार तनकियात कायम की गई है–

1- तनकी सं0 1 इस प्रकार से है कि आया वादी आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर का काविज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है –वादी

2- तनकी संख्या 2 इस प्रकार से है कि आया वादी प्रतिवादीगण को डिक्री हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है – वादी

3- तनकी संख्या 3 इस प्रकार से है कि आया वादी ने राज्य सरकार व सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है –प्रतिवादी

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

4- तनकी संख्या 4 इस प्रकार से है कि आया वादी ने इन्हीं पक्षकारों के बीच बेदखली का प्रकरण चलना जाहिर किया है उसी वक्त दावा क्यों नहीं किया। दावा मियाद बाहर है –प्रतिवादी

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में नकल जमाबन्दी संवत् 2028 प्रदर्श–1, नकल फैसला प्रदर्श–2, नकल पर्चा डिक्री प्रदर्श–3, नकल मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श 4, नकल जमाबन्दी संवत् 2020 प्रदर्श–5, नकल जमाबन्दी संवत् 2019 प्रदर्श 6, नकल जमाबन्दी संवत् 2013 प्रदर्श 7, नकल जमाबन्दी संवत् 2009 प्रदर्श 8, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2013 प्रदर्श 9, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2024 से 2028 प्रदर्श 10, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2020 से 2023 प्रदर्श 11, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2018 प्रदर्श 12, नकल खसरा गिरदावरी संवत् 2030 से 33 प्रदर्श 13 नकल फैसला दिनांक 21.7.1976 प्रदर्श 14, नकल पर्चा डिक्री प्रदर्श 15, नकल वयान देवीराम प्रदर्श 16, नकल वयान रनजीत प्रदर्श 17, नकल वयान बद्री प्रदर्श 18 नकल वयान ख्यालीराम प्रदर्श 20, नकल वयान प्रहलाद प्रदर्श 21 पेश किये है। जो शामिल मिसल किये गये है।

वादीगण ने अपने दावा के समर्थन में गवाह वादी रणजीतसिंह पी डब्ल्यू 1, गवाह भागचन्द पी डब्ल्यू 2, गवाह रामनारायण पी डब्ल्यू 3 के वयान लेखवद्व कराये है।

प्रतिवादीगण ने अपने समर्थन में गवाह प्रतिवादी रामचरण डी डब्लू 1 के वयान लेखवद्व कराये है तथा दस्तावेजी साक्ष्य में ईकरारनामा प्रदर्श डी 1 पेश किया है। जो शामिल पत्रावली है।

उभय पक्षकारान की बहस सुनी गयी। विद्वान अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि कि विवादित आराजी वादी की खातेदारी की आराजी है। वादी के पिता सुलतान ने विवादित आराजी को प्रतिवादी के पिता देवीराम को 300 रूपया में रहन रख दी थी तथा वादी ने दिनांक 23.3.1959 को प्रतिवादी को 300 रूपया अदा कर खेत को छुडा लिया था। जिसकी रसीद इसी दिन बद्रीप्रसाद महाजन निवासी पावटा से लिवाकर गवाह मोहनलाल व ख्याली चमार व झबडू कुम्हार के हस्ताक्षर अगूठा किये थे इसी दिन देवीराम ने रहन की रकम प्राप्त कर कब्जा वादी को

उपखण्ड अधिकारी
कटमार (अलवर) राज०

संभला दिया था। प्रतिवादी ने अपने नाम मनमाने तरीके से विवादित आराजी को विना कब्जा विना रिकार्ड के अपने नाम खातेदारी दर्ज करा ली है जो गलत है अतः वादी को विवादित आराजी का खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

प्रतिवादी विद्वान अधिवक्ता ने अपनी वहस में अपने जवाब दावा के तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वादी का विवादित आराजी से किसी तरह का बास्ता नहीं है। हाल राजस्व रिकार्ड सही है। रहन रखने वाली व रसीद लिखने वाली बात गलत है। वादी को पूर्व में चले मुकदमों की पहले से ही जानकारी थी लेकिन वादी ने मियाद वाहर दावा पेश किया है जिसमें राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है इस वजह से दावा वादी खारिज किया जावे।

विद्वान अधिवक्ता वादी एवं प्रतिवादी की बहस सुनी गई।पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया। वकुलाय की बहस पर मनन किया गया।वादीगण के दावा व प्रतिवादी के जवाब दावा के आधार पर वाद में तनकीवार निस्तारण किया जाता है। –

तनकी संख्या–1 आया वादी आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर का काविज कृषक खातेदार है तथा खातेदारी प्राप्त करने का मुस्तहक है–अपने समर्थन में वादी ने दावा हाजा के साथ जमाबन्दी संवत् 2013 व खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2019 प्रस्तुत की है जिनमें विवादित आराजी वादी के पिता सुलतानसिंह की खातेदारी में दर्ज है तथा वादी ने प्रतिवादी को दिनांक 23.03.1959 को रहन से छुडाने वावत रसीद पेश की है जो रहन से छुडा कर वादी के कब्जे की पुष्टि करती है। जमाबन्दी संवत् 2019 ,की जमाबन्दी के अवलोकन से यह सावित है कि विवादित आराजी का वादी को प्रतिवादी का सिकमी काश्तकार अंकित कर दिया है जो रिकार्ड पूर्व के रिकार्ड से भिन्न है। जिससे संवत् 2019 की जमाबन्दी के अंकन कोई मान्यता नही रखते उसके आधार पर प्रतिवादी सं0 1 के पिता टिनेन्ट नही रहता। जहां तक वादी के टाइटल का प्रश्न है वह स्वंय विश्वेदार खुद काश्त की प्रार्थना पत्र लेकर प्रस्तुत हुआ है जो वादी द्वारा प्रस्तुत राजस्व भू–अभिलेख के अवलोकन से स्पष्ट हो जाता है कि संवत् 2013 की जमाबन्दी में वादी का पिता सुलतानसिह हिस्सेदार अंकित है व प्रतिवादी के पिता देवीराम का काश्त मार्फत के रूप में व गैरमौरूसी 5 साल की अंकित है इसके साथ ही

उपखण्ड अधिकारी

खसरा गिरदावरी संवत् 2014 से 2020 के कालम संख्या 6 में यह अंकन अंकित है। परन्तु इस खसरा गिरदावरी संवत् 2016 के कॉलम सं0 32 में सुलतानसिंह हिस्सेदार व काश्त मार्फत रणजीतसिंह खुद रबी बदस्तूर अंकित है इस प्रकार जबकी विस्वेदारी उन्मूलन हुआ और इसका असर संवत् 2016 में पडता है उसमें वादी रणजीतसिंह के नाम पर कॉलम संख्या 32 में काश्त अंकित थी। यदि वादी के पिता सुलतानसिंह को विश्वेदार माना जावे तव भी संवत् 2016 में सुल्तानसिंह खातेदार व वादी की काश्त अंकित है इसके विपरीत प्रतिवादी देवीराम का कोई काश्त विश्वेदारी उन्मूलन के दिनांक 15.01.1960 को अंकित नहीं है। संवत् 2010 की में प्रतिवादी के पिता देवीराम को गैरमौरूसी एक साल अंकित किया है व मारफत के रूप में अंकित किया है और यही अंकन संवत् 2011, 2012, 2013 मे किया गया है जैसा कि उपरोक्त में विवेचित किया गया है संवत् 2014 की खसरा गिरदावरी में प्रतिवादी के पिता देवीराम को गैर मौरूस 5 साल अंकित किया है इससे स्पष्ट है कि संवत् 2011 के वाद उसके एक साल की गैर मौरूस समाप्त होने पर 5 साल के लिये गैरमौरूसी के रूप में विश्वेदार की ओर से फिर काश्त में भूमि ली गई परन्तु संवत् 2016 में वापिस यह काश्त विश्वेदार वादी रणजीतसिंह के नाम अंकित हो गई। इस प्रकार विश्वेदारी उन्मूलन एक्ट के लागू होने के वाद प्रतिवादी काश्तकार के रूप में अंकित नहीं है। इसके अलावा भी वह मारफत के रूप में अंकित है व मारफतदार टिनेन्ट इनचीफ अथवा सव टिनेन्ट के रूप में नहीं माने जा सकते क्योंकि गैरमोरूसी काश्त अथवा मार्फतदार इन दोनों परिभाषाओं में नहीं आते। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवादी के पिता देवीराम को कोई खातेदार अधिकार प्राप्त हुये नही माने जा सकते। इसके सम्बन्ध में जो रहन का तथ्य भी वादी की ओर से रखा गया है उसका प्ररबद्वता परिपुष्ट होती है। दिनांक 23.03.1959 को वादी के कथनानुसार यह भूमि जो प्रतिवादी के पिता देवीराम को रहन पर रखी गई थी वह समाप्त कराली और संवत् 2016 में इस प्रकार जो काश्त वापिस वादी रणजीतसिंह का अंकित है वह तथ्यों से मेल खाती है। रहन के सम्बन्ध में जो वयानात हुये है वादी के दावा की ताइद करते है। यहां यह भी स्पष्ट करना उचित होगा कि रहन का कोई अंकन जमाबन्दी व खसरा गिरदावरी में नहीं है लेकिन वादी ने प्रदर्श 20 रसीद की सत्यप्रतिलिपी कार्यालय अधीक्षक (प्रभारी) जिला कलेक्ट्रेट अलवर (राज0) से मुकदमा की फाइल से जारी कराकर पत्रावली

उपखण्ड अधिकारी
रामगढ़ (अलवर) राज०

के साथ संलग्न की है जो रसीद रजिस्टर्ड नहीं है अतः जहां रहन के तथ्य का प्रश्न है उस सम्बन्ध में यह रसीद काम में नहीं ली जा सकती परन्तु कब्जेयावी के सम्बन्ध में यह दस्तावेज पढे जा सकते है। चूँकि खसरा गिरदावरी संवत् 2016 में भी वादी रणजीतसिंह की खुद काश्त अंकित है। अतः वादी के काश्त का अंकन पुष्ट हो जाता है। इस प्रकार जहां तक संवत् 2010 के पूर्व का इन्द्राजात का प्रश्न है वादी का पक्ष प्रतिवादी के मुकावले अधिक प्रबल है। विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी का तर्क की प्रतिवादी मारफत के रूप में संवत् 2010 से संवत् 2015 तक अंकित है व उस आधार पर वादी का विवादित जायदाद पर किसी तरह का हक हिस्सा व अधिकार नहीं बनता उपयुक्त प्रतीत नहीं होता। वादी की ओर से मौखिक साक्ष्य में गवाह वादी रणजीतसिंह व स्वतंत्र गवाह भागचन्द व रामनारायण के वयान कराये गये है जिनसे भी वादी के वाद के तथ्यों की पुष्टि होती है। विवादित आराजी वादी के पिता ने प्रतिवादी के पिता को रहन नहीं रखी हो व रहन की राशि वापिस कर वापिस कब्जा प्राप्त नहीं किया हो, रहन की रसीद वादी के पिता के पक्ष में नहीं लिखी गई हो या विवादित आराजी पर वादी का कब्जा ना होकर प्रतिवादी का कब्जा काश्त हो इस तरह का प्रतिवादी ने कोई मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पेश नहीं किया है इसके अलावा वादी ने जो राजस्व रिकार्ड पेश किया है उसका खण्डन भी नहीं किया है। अतः वादी विवादित आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3वीघा 4 विस्वा 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर का वादी अपने नाम खातेदारी घोषित कराने का अधिकारी है। अतः तनकी संख्या 1 वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 2– इस प्रकार से है कि आया वादी प्रतिवादीगण को डिकी हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है– – इस तनकी को सावित करने का भार वादी पर है चूँकि तनकी संख्या 1 के विस्तृत विवेचन से वादी अपने नाम विवादित आराजी की खातेदारी दर्ज कराने का अधिकारी पाया गया है। अतः वादी विवादित आराजी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने का अधिकारी है। अतः यह तनकी भी वहक वादी विरूद्व प्रतिवादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 3 –आया वादी ने राज्य सरकार व सक्षम प्राधिकारी को पक्षकार नहीं बनाया है। इसलिए दावा चलने योग्य नहीं है–को सावित करने का भार

उपखण्ड अधिकारी

प्रतिवादी पर है। वादी को दावा हाजा में राज्य सरकार व सक्षम अधिकारी को पक्षकार बनाया जाना जरूरी था। क्यों जरूरी था व राज्य सरकार अथवा सक्षम अधिकारी को दावा हाजा में पक्षकार न बनाने से दावा हाजा पर क्या असर पडेगा इस तथ्य को प्रतिवादी सावित करने में असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी वहक वादी निर्णीत की जाती है।

तनकी संख्या 4– आया वादी ने इन्हीं पक्षकारों के बीच बेदखली का प्रकरण चलना जाहिर किया है उसी वक्त दावा क्यों नहीं किया। दावा मियाद वाहर है–प्रतिवादी खातेदार है जिनसे अनुतोष प्राप्त करना चाहा हैं। अतः लडकियों को पक्षकार बनाये जाना आवश्यक है। इस तनकी को सावित करने का भार भी प्रतिवादी पर था। मद संख्या 7 में वाद मियाद के अन्दर है।अतः प्रतिवादी इस तनकी को सावित करने में भी असफल रहा है। अतः यह तनकी विरूद्व प्रतिवादी वहक वादी निर्णीत की जाती है।

अतः तनकी संख्या 1–2 को वादी अपने पक्ष में सावित करने में सफल रहा है। अतः वादी विवादित आराजी की खातेदारी घोषित कराने व प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराने व पेश दावा हाजा में अनुतोष प्राप्त करने का अधिकारी है। अतः दावा वादी सावित होने से डिक्री योग्य पाया जाता है।

–:आदेश:–

अतः दावा वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है किं वो उक्त आराजी में वादी के कब्जे में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा ना करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे। तदनुसार पर्चा डिक्री जारी हो पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम होकर वाद तकमील दाखिल दफ्तार हो।

आज दिनांक 11.02.2025 को यह निर्णय मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

श्याम [illegible] (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पर्चा डिकी

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कठूमर (अलवर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर ए एस)

राजस्व वाद संख्याः— 1/387/2015 दायर दिनांकः— 18/06/2002

जीसीएमएस नं0:—2013/00094 निर्णय दिनांकः— 11/02/2025

वउनवान

1. रणजीतसिंह पुत्र श्री सुलतानसिंह (मृतक) जरिये वारिसान

(1/1) भवानीसिंह पुत्र रणजीतसिंह (मृतक)

(1/1/1) कमलेश पत्नी भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/1/2) राकेश पुत्र भवानीसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/2) गिर्राजसिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/3) ज्वालासिंह पुत्र रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/4) रामदेई पत्नी रणजीतसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा

(1/5) गिर्राजबाई पुत्री रणजीतसिंह पत्नी रघुनाथसिंह जाति राजपूत निवासी पावटा हालवासी कोठी नारायणपुर तहसील राजगढ

(1/6) लक्ष्मी पुत्री रणजीतसिंह पत्नी भंवरसिंहजाति राजपूत निवासी पावटा हालवासी मूनपुर तहसील राजगढ (अलवर)

(1/7) चन्द्रकला पुत्री रणजीतसिंह पत्नी किशनसिंह निवासी पावटा हालवासी धवाला तहसील व जिला अलवर

डिकीदारान

बनाम

1. रामचरण पुत्र देवीराम जाति कुम्हार निवासी पावटा तहसील कठूमर
2. उप पंजीयक – कठूमर
3. प्रबन्धक, अलवर भरतपुर ग्रामीण आंचलिक बैंक शाखा बडौदाकान जरिए प्रबन्धक अलवर भरतपुर आंचलिक बैंक शाखा बडौदाकान

मदयूनान

उपखण्ड अधिकारी
कठूमर (अलवर) राज०

दावा घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई अन्तर्गत धारा–88, 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

अतः दावा वादी घोषणात्मक व हुक्मइन्तनाई सावित होने से डिक्री किया जाकर वादी को आराजी खसरा नम्बर 652 रकवा 3 वीघा 4 विस्वा 655 रकवा 3 वीघा 2 विस्वा वाके ग्राम पावटा तहसील कठूमर का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा राजस्व रेकार्ड से प्रतिवादी सं0 1 का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पावन्द किया जाता है कि वो उक्त आराजी में वादीगण के कब्जे में किसी तरह की रूकावट व मजाहमत पैदा नां करें जवरन वेदखल कर खुद कब्जा ना करे।

आज दिनांक 11.02.2025 को यह पर्चा डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय सील से जारी की गई।

श्याम सुन्दर चेतीवाल (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, कठूमर (अलवर)